उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंगरोड, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक संख्या–1208 / सू.एवं.लो.सं.वि(नि०शा०)–22 / 2010 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2022

निविदा की सूचना

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा एक वर्ष के लिए समाचार पत्र–पत्रिकाओं की निरीक्षा कर विषयवार समाचार कतरनों (क्लीपिंग्स) के सेट तैयार करने सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अन्तर्गत इच्छुक फर्मों से अलग–अलग (वित्तीय एवं तकनीकी) सीलबंद निविदा प्रस्ताव दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को अपराह्न 02 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सायं 4.00 बजे विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदादाता फर्मों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों दशाओं में खोल दी जायेंगी। निविदा का विस्तृत विवरण (नियम व शर्तें) निविदा प्रपत्र में अंकित हैं।

उक्त कार्य करने की इच्छुक फर्में निविदा प्रपत्र दिनांक 28 मार्च, 2022 से दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के अपराह्न 2:00 बजे तक निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 200+जी0एस0टी0 विभागीय खजाने में जमा करने के पश्चात् निरीक्षा शाखा अथवा विभागीय वेवसाइट www.uttarainformation.gov.in से अपलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

महानिदेशक, सूचना

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंगरोड, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक संख्या–1207 / सू.एवं.लो.सं.वि(नि0शा0)–22 / 2010 देहरादून, दिनांक 26 मार्च, 2022

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समाचार पत्र–पत्रिकाओं की निरीक्षा कर विषयवार समाचार कतरनों (क्लीपिंग्स) का कार्य हेतु **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017** के अन्तर्गत इच्छुक फर्मों से **(वित्तीय एवं तकनीकी अलग–अलग)** सीलबन्द निविदायें निम्न शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित हैं:–

(क) तकनीकी शर्तें

1. यह कि फर्म को हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित समाचार पत्रों में मा0 मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, अन्य मंत्रीगण विभिन्न विभागों स्वायत्तशासी संस्थाओं, मुख्य सचिव प्रमुख सचिवों, सम्पादकीय, फीचर लेख त्वरित कार्यवाही से सम्बंधित प्रमुख समस्यापरक एवं विविध समाचारों की निरीक्षा कर उनकी कतरनों के विषयवार अलग–अलग सेट (न्यूनतम 02 मूल, अधिकतम 04 मूल व 25 से 30 छायाप्रतियों) विभागीय निर्देशानुसार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. फर्म को समाचार पत्रों की निरीक्षा कर प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे समाचार कतरनों का 01 मूल सेट महामहिम राज्यपाल एवं 01 मूल सेट मा0 मुख्यमंत्री को जिसकी छाया प्रतियों के सेट क्रमशः मुख्य संचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / सचिव सूचना तथा महानिदेशक सूचना को उपलब्ध कराने के साथ ही शेष अन्य विशिष्ट व्यक्तियों जिनकी सूची विभाग द्वारा यथासमय उपलब्ध कराई जायेगी, को प्रातः 9:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
3. फर्म को सप्ताह में एक बार लघु दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्रों / पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्तराखण्ड सराकर से सम्बन्धित केवल नकारात्मक समाचारों की क्लीपिंग्स महानिदेशक सूचना के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षा शाखा कार्यालय के उपयोगार्थ प्रस्तुत करनी होंगी तथा चिन्हित लघु दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र यदि बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फर्म सूचना निदेशालय की निरीक्षा शाखा से सम्बन्धित समाचार पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
4. फर्म को समाचार क्लीपिंग्स के सेट में उत्तराखण्ड के साथ ही पड़ोसी राज्यों से प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचार पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों की कतरनें भी उपलब्ध करानी होंगी।
5. विभाग की मांग आवश्यकतानुसार फर्म को किसी भी समाचार की क्लीपिंग्स 01 घण्टे के भीतर आवश्यकता वाले स्थान पर (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी) में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

6. फर्म के पास क्लीपिंग्स सम्बन्धी कार्य के लिये मानव संसाधन 05 अनुभवी/दक्ष कार्मिको जिसमें कम से कम 02 व्यक्ति हिन्दी एवं 02 व्यक्ति अंगेजी विषय मे स्नातक होना आवश्यक होगा तथा 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर जिसे हिन्दी व अंग्रेजी कम्प्यूटर संचालन का अनुभव हो, होना आवश्यक होगा। कार्मिको की शैक्षिक योग्यता तथा उनकी नियुक्ति की पुष्टि में निविदा के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण तथा अनुभव पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित फर्म के पास क्लीपिंग्स सम्बन्धी आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक उपकरण यथा–कम्प्यूटर/प्रिंटर/स्कैनर/इंटरनेट/फोटो कापियर मशीन आदि होना आवश्यक होगा पुष्टि में उनके बीजक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म को वित्तीय एवं तकनीकी निविदायें अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। जिस फर्म को इस हेतु गठित निविदा समिति द्वारा तकनीकी रूप से सफल घोषित केवल उन फर्मो के ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव समिति द्वारा खोले जायेंगे।
9. फर्म का उत्तराखण्ड में जी.एस.टी.एन. मे पंजीयन होना आवश्यक है, पुष्टि मे जी.एस. टी.एन. का पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. फर्म को निविदा के साथ पैन नम्बर संख्या (PAN No.) की पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा।
11. फर्म को गत दो वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र निविदा के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. फर्म को निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रू. 10 हजार का बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. फर्म का वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख से कम नही होना चाहिए, पुष्टि हेतु वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 का सीए द्वारा प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. चयनित फर्म क्लीपिंग्स सम्बन्धी कार्य के लिये अनुबन्धित किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
15. विभाग मे निरीक्षा कार्य हेतु चयनित फर्म को रू. 40 हजार की बन्धक राशि महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के नाम से एफडीआर/बैंक गारन्टी के रूप में 01 वर्ष के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।
16. फर्म को शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करना होगा, जो महानिदेशक की शिकायत और फीडबैक के लिए उत्तरदायी होगा।
17. विभागीय स्तर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को ई–फार्मेट में प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है,जिसमें विषवार कतरनों को संकलित कर अपलोड किया जाना होगा। इसके लिए फर्म को कतरनों की प्रति उच्च गुणवत्तायुक्त डिजिटलकेम के माध्यम से कम्प्यूटर में अपलोड करानी होगी तथा कतरनों को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होगा। समाचार कतरनों की फोटो प्रति के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार प्रिंट उपलब्ध करानी होगी समाचार कतरनों को ई–फार्मेट पर अपलोड करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से प्रारम्भ होने के पश्चात् फोटोकापी के रूप में

विभिन्न महानुभावों के प्रेषित की जा रही पत्रावली के स्थान पर उनके द्वारा भी इनका अवलोकन इससे सम्बन्धित सॉफ्टवेयर पर अवलोकित किया जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रिंट आउट लिया जा सकेगा।

18. फर्म को आवश्यकता पडने पर समाचार क्लीपिंग्स को व्हाट्सएप (WhatsApp) पर पीडीएफ फाईल के रूप में भी बताये गये मो0 नम्बर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।
19. उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1542/VII–3–19/143–उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त 2019 के कम में प्रदेश में सुक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए कय वरीयता नीति 2019 के अनुसार वरियता प्रदान की जायेगी।
20. फर्म को कुँमाऊ मण्डल/गढ़वाल मण्डल के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों तथा प्रदेश के समस्त जनपदों की नकारात्मक समाचारों की ऑनलाइन न्यूज प्रातः 6 बजे भेजनी होगी।
21. प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख समाचारों को प्रातः 6 बजे तक ऑनलाइन भेजनी होगी।
22. जिन प्रमुख समाचार पत्रों में नकारात्मक न्यूज प्रकाशित की गई हो, उसका पूरा पेज तथा पेज नं0 व अन्य जिन–जिन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया हो उसका तुलनात्मक विवरण ऑनलाइन भेजना होगा।

अन्य शर्तेः–

1.विभाग द्वारा चयनित फर्म को समाचार कतरनो (क्लीपिंग्स) कार्य हेतु कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। विभाग द्वारा फर्म को उक्त से सम्बन्धित बीजकों का भुगतान बजट की उपलब्धता पर ही किया जायेगा।

2.फर्म द्वारा विभाग की आवश्यकतानुसार समय पर कार्य सम्पादित न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के फर्म को पृथक करने का अधिकार महानिदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

3.उक्त कार्य हेतु चयनित फर्म को रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

4.महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।

5.किसी भी दशा में विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

6.विभागीय निविदा समिति को प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों दशाओं में खोलने का अधिकार होगा।

(ख) वित्तीय शर्ते

निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु अपनी दरें वित्तीय निविदा प्रपत्र–2 पर निर्धारित कॉलमों के सामने समस्त व्यय व करों सहित (एकमुश्त) दरें अंकित करनी होगी, जिस फर्म द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एकमुश्त दरें अंकित नही की जायेगी, उनकी निविदा स्वीकार नही की जायेंगी।

आवश्यक वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र (चैक लिस्ट)

1. फर्म के वार्षिक टर्न ओवर की पुष्टि में सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।
2. फर्म का जी.एस.टी.एन. का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।
3. फर्म का पैन का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।
4. फर्म की गत दो वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5. फर्म का अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट।
6. फर्म का देहरादून में कार्यालय होने की पुष्टि हेतु किरायानामा अथवा बिल आदि की स्वप्रमाणित प्रति
7. फर्म द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता की पुष्टि हेतु शपथ पत्र।
8. फर्म द्वारा नियुक्त या अनुबन्धित कार्मिकों की सूचना एफिडेविट पर प्रस्तुत करनी होगी,तत्सबंधी एफिडेविट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः–केवल वांछित अभिलेख कमानुसार संलग्न किये जाए। इसके अतिरिक्त अनावश्यक अभिलेख संलग्न न किये जाए

वित्तीय निविदा प्रपत्र

सं.	कार्य का विवरण	कार्य की एकमुश्त दरें (समस्त प्रकार के करों सहित) (रू.)
1.	हिन्दी एवं अग्रेजी के मुख्य समाचार पत्र–पत्रिकाओं जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 25 से 30 होंगी, एवं कुँमाऊ एवं गढ़वाल मण्डल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान ,शाह टाइम्स, उत्तर उजाला आदि की विषयवार 100 से 120 मूल कतरने (क्लीपिंग्स) की एक फाइल की दर।	
2.	हिन्दी एवं अग्रेजी के मुख्य समाचार पत्र–पत्रिकाओ उपरोक्तानुसार अंकित मात्रा में समाचार पत्र–पत्रिकाओं की मूल कतरने (क्लीपिंग्स) की स्वच्छ फोटो प्रति की एक फाइल की दर।	
3.	उपरोक्तानुसार अंकित मात्रा में प्रमुख ई पेपर समाचार पत्रों का संकलन कर वाट्सअप पर भेजने की दर।	
4.	उपरोक्तानुसार अंकित मात्रा में उत्तराखण्ड संस्करण(कुँमाऊं–गढ़वाल मण्डल) के हिन्दी/अंग्रेजी ई पेपर समाचार पत्रों के प्रमुख समाचारों का संकलन कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ई मेल,या व्हाटसएप के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराने की दर।	
5.	फर्म को सप्ताह में एक बार लघु दैनिक,साप्ता0,पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्तराखण्ड सरकार सं संबंधित केवल नकारात्मक समाचारों की (क्लीपिंग्स)उपलब्ध कराने की दर।	
6.	प्रमुख ई पेपर समाचार पत्रों में प्रमुख समाचार पत्रों को वरीयता से प्रकाशित करने संबंधी दैनिक तुलनात्मक चार्ट विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ई मेल या व्हाटसएप नवम्बर पर उपलब्ध करने की दर।	
7.	आवश्यकता पडने पर प्रति कतरन (क्लीपिंग्स) की रंगीन फोटो कापी उपलब्ध कराने की दर।	
8.	आवश्यकता पडने पर प्रति कतरन (क्लीपिंग्स) की अतिरिक्त श्वेत–श्याम फोटो कापी की दर।	
9.	आवश्यकता पडने पर उक्त कतरनो की अतिरिक्त सी.डी. उपलब्ध कराने परं प्रति सी.डी. की दर।	

फर्म का नाम व पता–.. ....

....

....

....

उत्तराखण्ड में पंजीकृत जी.एस.टी. संख्या–...........

टेलीफोन/मोबाइल नम्बर–....................................